न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 129/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/285

उनवान

1. सत्यप्रकाश पुत्र रामस्वरुप
2. देवकान्त पुत्र ललिता प्रसाद
3. जगदीश पुत्र श्यामलाल
4. अनिल
5. बॉबी
6. श्यामसुन्दर उर्फ पप्पू

पिस0 सोहनलाल

7. सफेदी बेवा सोहनलाल

जाति ब्राह्मण निवासी अस्तावन तहसील कुम्हेर जिला डीग।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. मृदुल कुमार शर्मा पुत्र नरेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मोदी नगर जिला मेरठ (उ.प्र.)
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार।

.....असल रेस्पोडेन्ट्स

3. दिनेश पुत्र ललिता प्रसाद
4. मिथलेश पत्नी बृजेश
5. जिया शर्मा पुत्री बृजेश नाबालिग जरिये माता मिथलेश
6. मीना पुत्री सोहनलाल
7. शीला पुत्री सोहनलाल

जाति ब्राह्मण निवासी अस्तावन तहसील कुम्हेर जिला डीग।

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 41/2013 बउनवानी राधारानी बनाम रामस्वरुप आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2024 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर, दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 05.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर द्वारा मु.स. 41/2013 बउनवानी राधारानी बनाम रामस्वरुप आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2024, दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र मद सं. 4 वाके ग्राम अस्तावन कदीम तहसील कुम्हेर वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर के सहखातेदार हैं। वादी सं. 1 के पति चतुर्भुज एवं रेस्पोडेन्ट/वादी सं. 3 रामजीलाल व सिलसिले मुकाम मथुरा में निवास करते थे लेकिन अपने हिस्से की निस्फ आराजी का इन्तजामात व देखभाल प्रत्येक वर्ष गॉव में आकर करते थे किन्तु प्रतिवादीगण ने पटवारी हल्का से मिलकर विवादित आराजी को अपने नाम करा लिया। जिससे वादीगण के हकूक काश्तकारी पर बुरा असर पड़ा और आपस में मन–मुटाव पैदा हो गया। जिसके कारण वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा दावा पेश कर हाल आराजी पर प्रतिवादीगण के साथ बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं डिक्री बाबत डिवीजन ऑफ होल्डिंग विवादित आराजी को मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर कुर्रे बनाये जाकर पृथक–पृथक लगान कायम किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.09.2024 को निर्णय पारित कर दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दावा में तारीख पेशी 10.01.2023 वास्ते पूर्वानुसार नियत थी। लेकिन पत्रावली दिनांक 10.01.2023 की कार्यवाही की आर्डरशीट नही है तथा अचानक एक वर्ष बाद 24.01.2024 की आर्डरशीट अंकित कर जबाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.02.2024 नियत की गई। इसके बाद दिनांक 07.02.2024 को कोई आर्डरशीट नहीं है। दिनांक 06.05.2024 को आर्डर शीट अंकित कर प्रार्थना–पत्र आर्डर 22 रुल 3 बिना बहस स्वीकार किया गया। तथा दावा मे तारीख पेशी 28.05.2024 अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत की गई पत्रावली में दिनांक 28.05.2024 की कोई आर्डर शीट अंकित नही है। दिनांक 20.08.2024 को आर्डरशीट अंकित की गई है जबकि इस तारीख पेशी की बाबत प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी से मिलकर दिनांक 20.08.2024 को प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी गैर कानूनी रुप से स्वीकार किया है। इसके बाद तरमीम दावा प्रस्तुत होना चाहिए था लेकिन सीधे ही तारीख पेशी दिनांक 04.09.2024 नियत कर डिक्री पारित कर दी गई। इस प्रकार आर्डरशीट में बहस प्रतिवादीगण गलत अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.09.2015 के अनुसार पत्रावली अभी शेष प्रतिवादीगणों की तलबी में नियत थी। विवादित आराजी में खसरा नम्बरान 464, 1061, 1062, 448, 433, 462, 476, 1060, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1144, 1145 में नियत हिस्सा निरोत्तम व इमरतलाल ने दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दिया है तथा क्रेतागण का नाम जरिये इन्तकाल राजस्व अभिलेख में सहखातेदार के रुप में अंकित है। बंटवारे के दावा में सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होते हैं जबकि उनको पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में दावा चलने योग्य नहीं था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया गया जो काबिल निरस्तनीये है। इमरतलाल व निरोत्तमलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

द्वारा जो विक्रयपत्र विवादित आराजी के अपने हिस्से के तस्दीक कराये हैं उनको बिना निरस्त कराये वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं था तथा इससे संबंधित कोई तनकी भी न्यायालय तहत द्वारा कायम नहीं की है। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2/3/5 पुष्पा, 3/1 सुरेश पुत्र इमरत प्रतिवादी सं. 4 निरोत्तम काफी अरसा पूर्व फौत हो चुके हैं अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा कोई कार्यवाही उनके वारिसान बाबत् नहीं की गई और अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध दावा दिनांक 04.09.2024 को डिक्री कर दिया जो खिलाफ कानून है व निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी मे कई सहखातेदारान का रकबा केसीसी के लिए राजस्थान ग्रामीण बैंक अस्तावन में रहन है। किन्तु बैंक को दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का तबादला दिनांक 05.09.2024 को अन्यत्र हो चुका था और उन्होंने ट्रान्सफर होने के बाद पत्रावली में निर्णय किया है जिसे आर्डरशीट दिनांक 04.09.2024 को लिखकर उसी दिन बहस उसी दिन निर्णय कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। तारीख पेशी 04.09.2024 की कोई जानकारी प्रतिवादीगण को नही थी ना ही बहस प्रतिवादीगण की गई। निर्णय वादी से मिलकर बैक डेट में किया गया है। विवादित आराजी से संबंधित एक अन्य दावा भी पेश किया था उक्त दावा दिनांक 13.08.2024 को खारिज हो चुका है उसी आराजी बाबत् वादी नया दावा प्रस्तुत नही कर सकता। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 5 का निर्णय गलत व खिलाफ कानून पारित किया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2024 न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर निरस्त फरमाये जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के हिस्सेदार चतुर्भुज मुद्दाविया मुद्दई नं. 1 पति व मुद्दई नं. 2 के पिता थे। जो दिनांक 03.06.1972 को फौत वमुकाम मथुरा हो चुके थे। मुदईयान नं. 1 व 2 उनके कानूनी वारिस हैं। विवादित आराजी वाके मौजा अस्तावन कदीम तहसील कुम्हेर की मुदईयान व मुदा0 निस्फ–निस्फ हिस्से के हिस्सेदारान काबिज व काश्तकार मालिक अरसा दराज सम्वत 1982 से ताहाल चले आ रहे हैं। विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट की पैतृक आराजी है व मुदईयान व मुद्दालय के साथ बहिस्सा बराबर–बराबर 1/2–1/2 के सह–काश्तकार हैं। किन्तु अपीलान्ट ने विवादित आराजी पटवारी हल्का से मिलकर मनमाने ढंग से नाम करा ली थी एवं रेस्पोडेन्ट का नाम हिस्सा निस्फ से निकलवा दिया था जो कानून के खिलाफ है। रेस्पोडेन्ट्स जब अपने खेत जोतने गये तो मौके पर आकर अपीलान्ट ने इनको खेत जोतने से रोक दिया था और धमकी दी थी कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है सम्पूर्ण रकबा हमने अपने नाम करा लिया है। जिससे रेस्पोडेन्ट्स के हकूक काश्तकारी पर बुरा असर पड़ गया था। इसी कारण रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर कुर्रे बनाये जाकर पृथक–पृथक लगान कायम किये जाने का निवेदन किया गया था। न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को सही पते पर नोटिस जारी किये गये किन्तु दिनांक 21.08.2019 को अपीलान्ट्स के न्यायालय में उपस्थि नहीं होने पर सही रुप से एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय विधिवत कार्यवाही कर सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 17.09.2024 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी सं० 1:– आया वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है और विवादग्रस्त आराजी भूमी पर शामिल होकर कास्त करते रहे है।

तनकी सं. 2 :– आया वादीगण आ०मु० मुताबिक मद संख्या 4 आराजीयत के निष्फ–निष्फ हिस्सा के खातेदार काश्तकार है और सम्वत् 2015 से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज वादीगण का नाम वसाज तहसील करवा दिया है इसलिये वादीगण इन्द्राज काश्त दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है।

तनकी सं. 3 :– आया फरीकेन मुकदमा वक्त जोतने बाने तनाव पैदा हो जाता है इसलिये वादीगण विवादग्रस्त भूमि का विभाजन करा पाने के अधिकारी है।

तनकी सं. 4 :– आया दावा वादीगण वावत् विभाजन बिना खातेदारी कानूनन चलने योग्य नहीं है।

तनकी सं. 5 :– आया वादीगण ने इसी आ०मु० का एक दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध सन् 1971 में किया था व 1974 में खारिज हुआ।

तनकी सं. 6 :– आया प्रतिवादीगण को आ० मु० को 20 साल से अधिक काश्त करते हो गया है दावा वादीगण के खिलाफ delay of laches के सिद्धांत आरिंज है।

तनकी सं. 7 :– आया दावा वादी अन्दर म्यांद नहीं है।

तनकी सं. 8 :– आया प्रतिवादीगण हर्जा 500रू. वादीगण से पाने का मुस्तहक है।

9. दादरसी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रेस्पोडेन्ट ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर अभिकथन किया कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र मद सं. 4 वाके ग्राम अस्तावन कदीम तहसील कुम्हेर वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। जिसे प्रतिवादीगण ने पटवारी हल्का से मिलकर विवादित आराजी को अपने नाम करा लिया। जिससे वादीगण के हकूक काश्तकारी पर बुरा असर पड़ा और आपस में मन–मुटाव पैदा हो गया। इसलिए वादी/रेस्पोडेन्ट हाल आराजी पर प्रतिवादीगण के साथ बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं डिक्री बाबत डिवीजन ऑफ होल्डिंग विवादित आराजी को मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर कुर्रे बनाये जाकर पृथक–पृथक लगान कायम करवाना चाहता है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.09.2024 को निर्णय पारित कर दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कर दिया।

इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 10.09.2015 के अनुसार पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी सं. 2/3/5 लगायत 2/3/7 रखी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.07.2017 में यह अंकन किया गया कि पत्रावली वास्ते तलबी शेष प्रतिवादीगण दिनांक 18.08.2017 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 17.06.2019 के अनुसार वकील प्रतिवादी सं. 2/3/5 लगायत 2/3/7 का सही पता प्रस्तुत किया। वकील वादी इनके सही पते पर तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. कराये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.07.2019 में यह अंकन किया गया कि वादी ने प्रतिवादी सं. 2/3/5 लगायत 2/3/7 की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. कराकर रसीदे पेश की पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी दिनांक 21.08.2019 को पेश हो। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की आदेशिका दिनांक 21.08.2019 के अनुसार प्रतिवादी अनुपस्थित रहें एवं न्यायालय तहत द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 25.02.2020 के अनुसार पूर्व में पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 व जबाब प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 को रिकार्ड पर लिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 दिनांक 12.03.2020 को नियत की गई। जिसके उपरान्त पत्रावली में आदेशिका दिनांक 25.02.2022 के अनुसार प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 28.03.2022 के अनुसार प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 पर उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 स्वीकार किया जाकर ललिता प्रसाद के वारिसानों को रिकार्ड पर लिये जाने एवं उनकी तलबी बाबत आदेशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 24.01.2024 में यह अंकन किया गया कि उभयपक्ष वकील उप०। वादी सं. 2/1 के फौत होने पर प्रार्थना–प. आदेश 22 नियम 3 पेश किया गया। नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जबाब प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 दिनांक 07.02.2024 को पेश हो। किन्तु दिनांक 07.02.2024 को कोई आदेशिका अंकित नहीं की गई। बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2024 को आदेशिका का अंकन किया गया जिसमें आगामी दिनांक 28.05.2024 नियत की गई लेकिन दिनांक 28.05.2024 को भी कोई आदेशिका अंकित नहीं की गई। न्यायालय तहत द्वारा सीधे ही दिनांक 20.08.2024 को आदेशिका का अंकन कर प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 पर बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार कर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 04.09.2024 को नियम की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2024 को उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई।

जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया का उल्लेख किया जा चुका है। जिसके अनुसार प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.09.2024 को पारित किया जाना अंकित किया गया है किन्तु आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष रहें ललिता व बृजेश के वारिसान प्रतिवादीगण की तलबी नहीं कराई गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिकाओं का संधारण भी सही रुप से नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजी गई पत्रावली का संधारण भी सही रुप से नहीं किया गया है उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संधारित की गई आदेशिका, निर्णय एवं वादीगण द्वारा पेश तरमीम दावा को पत्रावली खुले रुप से रखा गया है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट असल द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व दिनांक 05.08.2024 को तरमीम दावा भी पेश किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तरमीम दावा के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा उस अनुसार जबाबदावा पेश करने के उपरान्त तनकीयात कायम न करके पूर्व में पेश दावा के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत नही है। जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत नहीं होते हैं।

इसके अलावा वाद में पक्षकारान द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने या उसको खारिज करवाने हेतु दस्तावेज नकल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल एवं अन्य दस्तावेजात पेश किये जाते हैं उक्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श अंकित किए जाने चाहिए एवं दस्तावेजों को विधिवत प्रदर्शित किया जाना चाहिए एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा आद्याक्षर (Initialls) किये जाने चाहिए। ताकि उन दस्तावेजों को साक्ष्य में पढ़ा जा सके। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को प्रक्रियात्मक कानून की पालना विधिसम्मत रुप से करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 208 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है। इस धारा में निम्न प्रावधान हैं :– 208 सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन के सब वादों और कार्यवाहियों पर सिवायः–

(क) इस अधिनियम में किसी बात से असंगत उपबंधों के, ऐसी असंगति की सीमा तक,

(ख) इस अधिनियम की व्याप्ति के बाहर के विशेष वादों या कार्यवाहियों पर लागू उपबन्धों के, तथा

(ग) चतुर्थ अनुसूची की सूची (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के, चतुर्थ अनुसूची की सूची–II में अन्तर्विष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 208 में उल्लिखित तीन अपवादों को छोड़कर राजस्व न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गयी प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस, मैन्युअल 1956 की प्रक्रिया अनुसार दावों का निस्तारण करते हैं। साक्ष्य विधि की पद्धति उक्त अधिनियमों के अनुसार ही अपनाई जाकर प्रकरण के निष्कर्ष पर पंहुचा जाता है। जब दो पक्षकारों के बीच कोई विवाद उठता है तब वे न्यायालय जाते हैं जो विवादग्रस्त विवाद्यकों या प्रश्नों को निर्धारित करता है। तत्पश्चात् पक्षकार अपने–अपने समर्थन में साक्ष्य पेश करते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विधि के उपयोग का प्रारम्भ होता है। यह विधि साक्षियों और दस्तावेजों आदि को, जो विवादग्रस्त विषयों के विनिश्चय के लिए सुसंगत हैं पेश करने की पद्धति बताती है। दूसरे शब्दों में साक्ष्य किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने की रीति है। राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 (भाग–2) में दस्तावेजों को प्रदर्शित करने बाबत प्रावधान किए गए है एवं गवाहों को किस प्रकार उल्लेख किया जावे इस बाबत भी प्रावधान दिए गए हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2024 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श ही अंकित नहीं किए जो प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जब दस्तावेजात को प्रदर्शित ही नहीं किया गया तो वे साक्ष्य में पढे नहीं जा सकते हैं एवं उनके आधार पर निर्णय भी पारित नहीं किया जा सकता है। वादपत्र के अभिवचनों से विनिर्दिष्ट रुप से इंकार नहीं किया गया हो तब भी वादी को अपने अभिवचनों को साक्ष्य से साबित करना होता है। वाद के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर देने मात्र से वह साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं होते हैं। बल्कि दौराने साक्ष्य अभिवचनों की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श मार्क अंकित किया जाना आवश्यक है और यदि किसी दस्तावेज को साबित किए जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेज को साबित किया जाना भी जरुरी होता है। तत्पश्चात् ही दस्तावेजों को निर्णय का आधार बनाया जा सकता है। केवल वे ही दस्तावेज साक्ष्य की परिभाषा में आ सकते हैं जो दौराने साक्ष्य प्रदर्श हुए हैं और आवश्यक होने पर साबित हुए हों। प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर किये जाएगे। इस सम्बन्ध में राजस्थान रेवेन्यू कोटर्स मेनयूअल (भाग–2) 1956 के नियम 80 के अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित किए जाने चाहिए साथ ही नियम 80(4) के अनुसार प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर (Initialled and dated) किए जाएगें एवं नियम 129 के अनुसार पक्षकारों एवं गवाहों का उल्लेख करना चाहिए। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं विशेष तरीके से करने की प्रक्रिया भी तय की गयी है तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री उपर्युक्त विवेचन के क्रम में पारित किए हैं जो त्रुटिपूर्ण होने से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण प्रक्रियात्मक कानून का पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

होने के कारण इसे आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि पत्रावली में शेष रहे सभी प्रतिवादीगण की तामील करवाकर उनका जबाबदावा लेकर तरमीम दावा एवं पेश जबाबदावा के अनुसार नये सिरे से तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य सबूत लेकर दस्तावेजात को प्रदर्शित कर पुनः निर्णय पारित किया जाना वांछनीय होने से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2024 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायलाय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार शेष रहे सभी प्रतिवादीगण की तामील करवाकर उनका जबाबदावा लेकर तरमीम दावा एवं पेश जबाबदावा के अनुसार नये सिरे से तनकीयात कायम करते हुए, उभयपक्ष की साक्ष्य–सबूत लेकर, प्रक्रियात्मक कानून की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के समक्ष दिनांक 10.07.2026 को पेश होवें।
10. निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर